बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक– प्र0–1/डब्लू.टी –305/2012 परि0–

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक :-

विषय: आदर्श नौका नियमावली, 2011 के अधिसूचित करने तथा उसके क्रियान्वयन के संबंध में ।

प्रसंग: परिवहन विभाग का पत्रांक-72(डब्लू.टी) दिनांक 29.08.2012, 2763 दिनांक 04.07.2012, 2622 दिनांक 22.06.2012, 2341 दिनांक 05.06.2012, 39 (डब्लू.टी) दिनांक 08.05.2012, 112 दिनांक 11.01.2012, 54(डब्लू.टी) दिनांक 27.09.2011 तथा 52 (डब्लू.टी) दिनांक 01.09.2011

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिवहन विभाग के प्रासंगिक पत्रों का स्मरण किया जाय । नौका दुर्घटना एवं तद्जनित जान-माल की क्षति पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा सुरक्षित नौ-परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त आदर्श नौका नियमावली, 2011 की प्रति उपलब्ध कराते हुए इसे अधिसूचित कर गजट में प्रकाशित करने, नौकाओं के निबंधन तथा नियमावली का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था। अभी तक पटना प्रमंडल एवं अररिया जिला से ही गजट प्रकाशन की सूचना प्राप्त है । नावों के निबंधन के बारे में किसी भी जिला से प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है । इसके लिए सभी मोटरयान निरीक्षकों को नौका सर्वेक्षण का प्रशिक्षण दिया जा चुका है । इसके अतिरिक्त सुरक्षित नौका परिचालन हेतु नाविकों के प्रशिक्षित करने हेतु जिलों से चयनित मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है । प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी भी जारी है ।

अत: अनुरोध है कि जिलों में आदर्श नौका नियमावली, 2011 के गजट के प्रकाशन की सूचना एवं नावों के निबंधन की अद्यतन स्थिति के बारे में प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाए । साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी नौका में क्षमता से अधिक यात्रियों का नौवहन नहीं हो ।

विश्वासभाजन,
ह0/-
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- 3737 / पटना, दिनांक- 12/9/12

प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । जिला पदाधिकारी से सम्पर्क कर नावों का निबंधन करवाना सुनिश्चित करें एवं इस संबंध में प्रतिवेदन भी भिजवाएँ ।

12/9/12
प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।